न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/01/2025

बउनवान

1. बने सिंह पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार उम्र करीब 35 साल निवासी देसूला तहसील व जिला अलवर।

—— अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत फाहरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फाहरी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

——— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 1074 दि. 09.03.2022 ग्राम पंचायत फाहरी।

उपस्थित :–

श्री सतीश भारद्वाज– अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय

दिनांक :–24.03.2025

अपीलाण्ट बने सिंह ने रेस्पो0 के विरूद्व अपील इन्तकाल संख्या 1074 वाके ग्राम टीकरी आदेश दिनांक 09.03.2022 ग्राम पंचायत फाहरी तह0 गोविन्दगढ़ से विक्षुब्ध होकर इन तथ्यों के साथ अदालत हाजा में दिनांक 07.02.2025 को पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 121, 122, 123, 125, 134, 347, 348, 349, 96 कुल खसरा 9 रकबा 2.4652 है0 सालिम व खसरा नं. 132, 133 कुल किता 2 रकबा 0.7460 है0, 333 रकबा 0.3414 है0 व 331, 338, 345, 346, 350, 351 कुल किता 6 रकबा 1.9850 है0, 332 रकबा 0.1138 है0 में 1/3 भाग व खसरा नं. 97 रकबा 0.2529 है0 में 1/2 भाग वाके ग्राम टीकरी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर अपीलांट

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

के बाबा बत्तूराम पुत्र देवीसहाय की कब्जे कास्त खातेदारी की आराजी थी। बाबा बत्तुराम दिनांक 06.09.2021 को फौत हो गया।

यह है कि बत्तुराम के पॉच लड़के रामोतार, रामप्रसाद, रामकिशन, रामकिशोर, रामखिलाड़ी है। जिसमें रामकिशन व सम्पत्ति, बत्तुराम के जीवन काल में ही फौत हो गये। रामकिशन का लड़का बनेसिंह(अपीलांट) है। यह है कि बत्तूराम की मृत्यु के बाद उसका विरासत इंतकाल उनके वारिसान (अपीलांट) व अन्य वारिसान के नाम दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल में बनेसिंह को बत्तूराम का लड़का दर्ज कर दिया है जबकि बनेसिंह रामकिशन का लड़का है। अपीलांट को सुने बिना व उसके दस्तावेजों की जॉच किये बिना ही विरासत इंतकाल को तस्दीक कर दिया। जिससे इंतकाल में अपीलांट की गलत वल्दीयत दर्ज हो गयी। इसलिए इंतकाल आदेश दिनांक 09.03.2022 को अपास्त कर इंतकाल में अपीलांट बनेसिंह पुत्र रामकिशन दर्ज किया जावे।

अतः अपील, अपीलांट पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत फाहरी के इंतकाल सं. 1074 आदेश दिनांक 09.03.2022 अपीलांट बनेसिंह की वल्दियत बत्तूराम के स्थान रामकिशन दर्ज कर वल्दियत दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील अपीलाण्ट रजिस्टर दर्ज कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पो0 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं आया। इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ सत्यप्रतिलिपी इन्तकाल संख्या 1074 व जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम टीकरी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया। हमने पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। जहां तक मियाद के विन्दु का सवाल है माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अपील विरासत इन्तकाल की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाते हुये व अपीलाण्ट के शपथ पत्र

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पर विश्वास करते हुये अपीलाण्ट की अपील अन्दर अवधि सुमार की जाती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन कि पटवारी हल्का ने इन्तकाल संख्या 1074 वाके ग्राम टीकरी बनेसिंह(अपीलांट) की वल्दियत बत्तूराम दर्ज कर दी है। जबकि बनेसिंह रामकिशन का लड़का है। अपीलांट के वल्दियत की जॉच करनी चाहिए थी। अपीलांट को सुने बिना व उसके दस्तावेजों की जॉच किये बिना ही विरासत इंतकाल को तस्दीक कर दिया। जिससे इंतकाल में अपीलांट की गलत वल्दीयत दर्ज हो गयी। इसलिए अपील पेश कर निवेदन है कि इंतकाल आदेश दिनांक 09.03.2022 को अपास्त कर इंतकाल में अपीलांट बनेसिंह पुत्र रामकिशन दर्ज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
सत्यमेव जयते
जिला अलवर (राज0)

—:आदेश:—

अतः यह न्यायालय प्रार्थी की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत फाहरी पं.स. गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 दिनांक 09.03.2022 बाबत इंतकाल सं. 1074 ग्राम टीकरी तह0 गोविन्दगढ़ को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गोविन्दगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकार की सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित करें।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
जिला–अलवर (राज0)

आज दिनांक 24.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
जिला–अलवर (राज0)